राजस्थान पंजाबी एसोसिएशन संस्था, सी. सी. हैड़

विधान – नियमावली

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम **राजस्थान पंजाबी एसोसिएशन संस्था,सी.सी. हैड़** है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय **पंजाबी विभाग,गुरू हरगोबिन्द साहिब पीजी महाविद्यालय, सी.सी. हैड़**, तहसील – पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर तथा कार्यक्षेत्र **राजस्थान** राज्य रहेगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:–

1. सामान्य पंजाबी भाषा एवं विशेषतः राजस्थान में पंजाबी भाषा के सभी पहलूओं एवं रूपों का अध्ययन करना एवं अध्ययन को प्रोत्साहित करना ।
2. संस्था का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करना एवं इसी प्रकार के अन्य सम्मेलन, विचार गोष्ठियां,वाद – विवाद निबन्ध प्रतियोगिताएं आदि कि कार्यकारिणी समिति समय पर निर्धारित करे, आयोजन करना।
3. पंजाबी भाषा के समस्त पहलुओं में शोध कार्यो को प्रोत्साहित करना एवं इससे सम्बन्धित समस्त आवश्यक गतिविधियां सम्पन्न करवाना।
4. पत्र पत्रिकायें, सामयिक पत्रों एवं पंजाबी भाषा के जर्नल्स का समय समय पर प्रकाशन करना।
5. विषय विशेषज्ञों व सरकारी सेवा में पदों पर आसीन विद्वानों द्वारा मार्गदर्शन ।
6. विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों में सेमिनार, वर्कशाप व कैम्पों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जागरूक करना ।
7. पंजाबी भाषा की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एवं इसके उत्थान व प्रोत्साहन के लिये कार्य करना ।
8. बिना किसी जाति – पाति, वर्ण – वर्ग, रूप – रंग व भेदभाव के शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।
9. विधान के उददे्श्यों को पूरा करने के लिये वे अन्य कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हो।
10. संस्था के संचालन हेतु आवश्यक धन, चंदा, शुल्क, सरकारी अनुदानों से सहायता प्राप्त करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

मंत्री

कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally Signed by Balvinder Singh
Designation : REGISTRAR
Date: 2017.11.06 13:12:01 IST
Reason: Approved
Location: GANGANAGAR

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति सदस्य बन सकेंगे।
1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते है।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :–
1. संरक्षक 2. विशिष्ठ
3. सम्माननीय 4. साधारण
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चंदा देय होगा
1. संरक्षक राशि.....X.....वार्षिक/आजन्म
2. विशिष्ठ राशि.....X.....वार्षिक/आजन्म
3. सम्माननीय राशि.....X.....वार्षिक
4. साधारण राशि **1100 रूपये** वार्षिक
उक्त राशि एक मुश्त **1100 रूपये** अथवा .....—.....रूपये मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–
1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :–
1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव कराना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तत अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा की बैठकें :

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगें जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त सदस्यों में से कोई सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधारिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन :

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी / प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे।

1. **अध्यक्ष** – एक
2. **उपाध्यक्ष** – एक
3. **मंत्री/सचिव** – एक
4. **कोषाध्यक्ष** – एक
5. **डायरेक्टर** – एक
6. **समन्वयक** – एक
7. **सदस्य** – तीन (3)

(उपरोक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 6 (छह) पदाधिकारी व 3 (तीन) सदस्य कुल 09 (नौ) सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :

1. सदस्य बनाना/निष्कासन करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उपसमितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवाश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सक़ेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारयिों के अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्धारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे।

1. अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

2. उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3. मंत्री

1. बैठकों को आहूत करना।
2. मत बराबर बाने पर निर्णायक मत देना।
3. आय–व्यय पर नियन्त्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की और से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4 . उपमंत्री

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

5. कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा।

1. चंदा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक लेन–देन संभव होगा।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

17. कोष सम्बन्धी विशेषधिकारी : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1.	अध्यक्ष	50000/–	रू
2.	मंत्री	20000/–	रू
3.	कोषाध्यक्ष	5000/–	रू

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की प्रतिनियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण करवाया जायेगा।

19. संस्था का विधान का परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा। जो रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक से प्रभावी होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्थान की समस्त चल व अचन सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं श्रीगंगानगर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावाली) **राजस्थान पंजाबी एसोसिएशन संस्था,सी.सी हैड़** समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष